उपसंहार

उपसंहार

नौवें दशक के `सारिका` पत्रिका के `देह-व्यापार-कथा विशेषांक, नारी-यातना विशेषांक व जब्तशुदा कहानियाँ विशेषांकों में नारी जीवन तथा वेश्या जीवन पर लिखी गई कुल मिलाकर तैंतीस कहानियाँ हैं। इन तैंतीस कहानियों में नारी जीवन के विविध पहलुओं को आधार बनाकर उनके जीवन का चित्रण कर नारी की अनेकानेक समस्याओं का चित्रण किया हैं। कुछ समस्याएँ पुरानी ही हैं परंतु उन्हें व्यक्त करने का तथा उनका विवेचन करने का व उन समस्याओं की ओर देखने का लेखक का दृष्टिकोन आधुनिक दिखाई देता है। कुछ समस्याएँ बिल्कुल नई हैं जो वर्तमान युग में नारी समस्या की दृष्टि से व नारी जीवन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध ``नौंवे दशक के `सारिका विशेषांकों` में चित्रित नारी जीवन `` के विवेचन की सुविधा हेतु विषय को चार अध्यायों में विभाजित किया है।

प्रथम अध्याय में आदिकाल से वर्तमान काल तक नारी जीवन में उपस्थित परिवर्तनों, उतार-चढ़ावों का आलेख संक्षेप में प्रस्तुत कर कहानियों के आधार पर आधुनिक काल पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्राचीन काल में नारी की स्थिति वर्तमान काल से अच्छी थी। पुरूषों को प्रत्येक कार्य में नारी का सहयोग लेना पड़ता था। विशेषत: कोई भी धार्मिक कार्य नारी की अनुपस्थिति में संपन्न नहीं होता था। राजसूय यज्ञ के समय राम को सीता की अनुपस्थिति में उसका पुतला बनाकर यज्ञ-पूजा करनी पड़ी थी। इसी बात से धार्मिक कार्य में नारी की अनिवार्यता स्पष्ट होती है। प्राचीन काल में नारी की शिक्षा-दीक्षा की सुविधा भी थी और स्वयंवर जैसे प्रसंगों में अपना इच्छित वर खुद चुनती थी। प्राचीन काल में भी नारी पर बलात्कार व अत्याचार होते थे परंतु वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में नारी जादा सुरक्षित थी। उसकी स्थिति आज की अपेक्षा अच्छी थी।

वर्तमान काल में नारी-जीवन में अनेक सुधार एवं परिवर्तन आये हैं फिर भी असामाजिक तत्त्व, पुरूष प्रधान समाज-व्यवस्था, रूढिप्रिय मानसिकता, अज्ञान आदि के कारण नारी जीवन पीड़ा, यातना, वैधव्य, बलात्कार, उपेक्षा का घर बना हुआ है। शिक्षा के कारण नारी का जीवन उन्नत हो गया है फिर भी नारी को अपना जीवन-साथी चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दहेज के कारण दहेज देने में असमर्थ माता-पिता की पुत्री को अनमेल विवाह का शिकार होना पड़ता है। उम्र में अंतर होने के कारण पति-पत्नी में वैचारिक, मानसिक, शारीरिक मेल निर्माण नहीं होता है। शिक्षित पत्नी अगर नौकरी करती हो

तो वह चाहती है कि घरेलू काम-काज में पति उसकी मदद करे परंतु पुरूषी अहंकार के कारण पति ऐसा नहीं करता अत: अपने अधिकार के प्रति सजग नारी पति से झगड़ती रहती है। इस कारण भी पति-पत्नी के विचारों में तनाव व टकराहट की स्थिति निर्माण होती है। अनमेल विवाह के कारण ही नारी को वैधव्य का अनचाहा उपहार मिलता है। नारी जीवन के इन्हीं तथ्यों को कहानियों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं -

1. पराधीनता

2. समय से पहले वैधव्य

3. बाल विवाह

4. परित्यक्ता

5. अकेलापन

6. व्यक्तित्व का बटवारा

7. पति द्वारा पीड़ित होना

8. पुरूष की छत्र-छाया में ही जीवन व्यतित करना आदि।

द्वितीय अध्याय विवेचित कहानियों में आयी नारी जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते समय `समस्या` शब्द का अर्थ और परिभाषाएँ दी हैं। साधारणतया मनुष्य के जीवन में आनेवाली उलझनात्मक कठिनाई को समस्या के नाम से अभिहित किया जाता है। वैसे सभी प्राणियों की अपनी-अपनी अलग समस्याएँ होती हैं परंतु नारी की समस्याओं का स्वरुप अलग ही है। वैज्ञानिक दृष्टि से नारी पुरूषों की अपेक्षा सबल सिद्ध हो चुकी है परंतु पुरूषों ने अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप में इतना दुर्बल बनाया है कि नारी खुद अपने-आपको पुरूषों की अपेक्षा दुर्बल समझने लगी है। नारी का खुद को दुर्बल समझना ही उसके सामने निर्माण होनेवाली अनंत समस्याओं की जड़ है। यही प्रमुख कारण है जिसके फलस्वरुप नारी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

समाजविज्ञान की दृष्टि से नारी के सामने प्रस्तुत होनेवाली समस्याओं को अंकित कर कहानियों में चित्रित समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत अध्याय में किया है। नारी के सामने उपस्थित होनेवाली सामाजिक समस्याएँ हैं वैधव्य, परित्यक्ता, प्रेम में असफलता, दहेज प्रथा, कुँआरा मातृत्व, प्रौढ कौमार्य, अनमेल विवाह, बलविवाह, प्रौढ विवाह आदि। नारी जीवन में सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ पारिवारिक समस्याएँ भी निर्माण होती हैं, जैसे-पति-पत्नी में वैचारिक असमानता, परिवार में स्थित नारी द्वारा पीड़ा व प्रताड़ना, वासनाधीन व व्यसनाधीन पति आदि। साथ ही नारी के सामने उपस्थित आर्थिक समस्या को भी कहानीकारों ने चित्रित किया है। जैसे-गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि। इन समस्याओं के कारण नारी पराधीन है और उसे कई एक अत्याचारों को सहना पड़ता है। ऊपर निर्दिष्ट समस्याओं के अतिरिक्त नारी के सामने उसकी अपनी वैयक्तिक समस्याएँ भी होती हैं। जैसे- कुरूपता, नामर्द पति, बांझपन, लैंगिक अतृप्ति आदि। इन सभी समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत अध्याय में किया है। समस्याओं के विवेचन के साथ संवेदनशील लेखकों, चिंतको एवं सुधारकों द्वारा प्रतिपादित समाधान को रेखांकित किया है। उसका सार संक्षेप में यों है- नारी को चाहिए कि अपनी दुर्बलता को नष्ट कर हर कठिनाई का सामना करे। अपने पर होनेवाले अत्याचारों को चूपचाप सहने की अपेक्षा उसका विरोध करे तथा अपने अधिकार के प्रति सजग रहे कुछ लेखकों ने नारी को विद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया है जो अत्याचारी पति और ससूर को खत्म करने की बात कहती है।

वर्तमान काल में शिक्षा-दीक्षा के कारण नारी उसके सामने उपस्थित होनेवाली समस्याओं पर विजय पाने हेतु प्रयास करने लगी है। परंतु पुरूष प्रधान भारतीय समाज में अपना स्वामित्व कायम रखने हेतु पुरूषों ने नारी को आज तक उपर उठने नहीं दिया। यही कारण है कि इतनी शिक्षा-दीक्षा से विभूषित होकर भी नारी अपने में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुई है।

साधारणत: अर्थप्राप्ति या किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा पद, सम्मान पाने हेतु किया जानेवाला देह-व्यापर या देह-विक्रय `वेश्यावृत्ति` कहलाता है।

प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत आदिकाल से वर्तमान काल तक वेश्या जीवन में उपस्थित परिवर्तनों तथा उतार-चढ़ावों का स्वरुप विवेचन किया है। प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान काल की वेश्यावृत्ति में अनेक परिवर्तन आए हैं। प्राचीन काल में कला बेचनेवाली गणिकाओं के अलावा देह-विक्रय

करनेवाली वाग्योशिताएँ भी थी परंतु उनके व्यवसाय पर शासकों का नियंत्रण था अत: वेश्याओं की संख्या भी सीमित थी। परिणामत: उनके व्यवसाय में एक प्रकार का नियोजन व सुव्यवस्था थी। आज कई कारणों से प्रभावित होकर नारी वेश्यावृत्ति को स्वीकारने के लिए मजबूर है। प्रस्तुत अध्याय में नारी द्वारा वेश्यावृत्ति स्वीकारने के समाजविज्ञान के अनुसार निर्दिष्ट कारणों को अंकित कर कहानियों में चित्रित कारणों का विवेचन किया है। वे कारण हैं -

1. प्रेम में असफलता।

2. आर्थिक निर्धनता।

3. लैंगिक अज्ञान तथा जिज्ञासा।

4. धन कमाने की लालसा।

5. पति की पदोन्नति।

6. पारंपारिक व्यवसाय के रूप में व्यवसाय की स्वीकृति।

7. काम-भावना की तृप्ति। आदि।

इन कारणों का विवेचन करने के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि कोई भी नारी अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति नहीं स्वीकारती, अपितु उसे इस व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर अपनी पारिवारिक हालत को सुधारने के लिए वह वेश्यावृत्ति को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाती है। इसी के साथ यह तथ्य भी सामने आता है कि नारी द्वारा वेश्यावृत्ति स्वीकारने के पीछे सबसे प्रमुख कारण पुरूषों की काम-वासना है। प्रकृति प्रदत्त लैंगिक इच्छा की पूर्ति नैतिक मार्ग से पूर्ण न होने के कारण पुरूष अनैतिक मार्ग अपनाता है, वेश्या के पास जाकर अपनी लैंगिक इच्छा तृप्त करता है। ऐसे काम पीड़ित आदमियों के जाल में जादातर वे औरतें फंस जाती है, जो आर्थिक विपन्नता से त्रस्त होती हैं। आर्थिक आभाव के कारण नारी खुद तो भूखी मर सकती है परंतु अपने सामने परिवार के अन्य सदस्यों और अपने बच्चों को भूख के कारण दम तोड़ते हुए नहीं देख सकती। अत: अर्थाभाव से तंग आकर वह देह-विक्रय करती है।

वेश्या नारी के सामने अनेक समस्याएँ होती हैं, जिनमें दलालों की समस्या, पुलिस तथा कानून की समस्या, सुरक्षित जगह की समस्या, आर्थिक व लैंगिक शोषण की समस्या, आरोग्य विषयक समस्या, नैतिकता की समस्या, बॉस की समस्या आदि प्रमुख समस्याएँ हैं। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद आज दिन-ब-दिन वेश्याओं की संख्या में वृद्धि होने लगी है। वेश्याओं की संख्या में वृद्धि होने का कारण खोजने पर पता चलता है कि राजा-महाराजाओं का राज-काज व संस्थानिकों की सत्ता खत्म होने के कारण गणिकाओं के सामने अपना पेट पालने की समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या का समाधान करने हेतु कला की इन मूर्तियों को कला की जगह अपना जिस्म बेचना पड़ा। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रगति के कारण देहातों से अनेक युवक शहर आने लगे। शहर में रहने की जगह न होने के कारण वे अपना परिवार साथ रखने में असमर्थ होते हैं। शहर का भड़किला वातावरण उनकी प्रकृति प्रदत्त काम-वासना को जागृत करता है। अपनी इस काम-वासना को शांत करने के लिए वे वेश्या के पास जाने लगे, अत: वेश्याओं की मांग बढ़ गई और साथ ही वेश्यावृत्ति स्वीकारनेवाली नारी की संख्या में भी वृद्धि होने लगी।

वेश्याओं की बढ़ती संख्या को देखकर अनेक समाजसेवी व्यक्ति, संस्था व शासन के द्वारा वेश्या निर्मूलन करने का प्रयास जारी है परंतु इस व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसाय करने की इच्छा रखनेवाली वेश्याओं में उन्हीं की संख्या जादा होती हैं जो अधेड है तथा जिन्हें ग्राहक नहीं मिलते। जिनका व्यवसाय अच्छी तरह चलता है वे इस व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहती। कोई वेश्या इस व्यवसाय से ऊबकर व्यवसाय छोड़ना चाहे तो भी समाज उसे स्वीकार कर सम्मान नहीं देता। इन्हीं कारणों के फलस्वरुप इतने प्रयासों के बावजूद न तो वेश्यावृत्ति बंद हो गई और न ही इस व्यवसाय का निर्मूलन हुआ है।

वेश्यावृत्ति समाज की दृष्टि से घृणित व्यवसाय है। इसके कारण समाज का नैतिक पतन होता है और युवा नसल बर्बाद होती है। इसी कारण अपने शील का व्यापार करनेवाली इन औरतों से समाज घृणा करता है। अध्ययन के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार महानगरों में गंदगी निकालने के हेतु गटरों की सुविधा की होती है, उसी प्रकार समाज में पुरूषों की काम-वासना शांत करने के लिए वेश्याओं की नितांत आवश्यकता है। अगर वेश्याएँ अपना जिस्म नहीं बेचती तो समाज वासना से भ्रष्ट होता। अत: समाज में वासना का नंगा प्रदर्शन रोकने के लिए वेश्या नारी की आवश्यकता है। इस उपयोगिता की ओर ध्यान देने पर स्पष्ट होता है कि वेश्या समाज की पहले दर्जे की समाज सेवक है।

समाज में वेश्या नारी की उपयोगिता को जानकर वेश्यावृत्ति व्यवसाय का स्तर बढ़ाना चाहिए। शासन कर्ताओं और कानून का इस व्यवसाय पर नियंत्रण होना चाहिए। अनेक पुरूषों के साथ लैंगिक संबंध रखने के कारण वेश्या नारी कई प्रकार के रोगों का शिकार होती है। इन वेश्याओं के रोग ग्राहकों के माध्यम से समाज में फैल जाते हैं। वर्तमान काल में अपनी भयानकता के साथ फैल रहा एड्स इसी का प्रमाण है।इस संकट से बचने के लिए वेश्याओं की समय-समय पर वैद्यकीय चिकित्सा होनी आवश्यक है। इसके साथ ही उनका रहन-सहन तथा खाने-पीने का दर्जा भी सुधारना आवश्यक है। रोगों से पीड़ित वेश्या के व्यवसाय पर रोक लगा देनी चाहिए।साथ ही इनकी जीविका चलाने के लिए मानदेय के रूप में उन्हें शासन द्वारा कुछ धन मुहय्या करना चाहिए। वयस्क वेश्याओं को भी यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जो वेश्या इस व्यवसाय को छोड़ अन्य व्यवसाय करना चाहती है, उसे अर्थ सहाय्य देकर व्यवसाय उपलब्ध करवा देने चाहिए। वेश्याओं की शिक्षा-दीक्षा के साथ ही उनकी संतानों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करवाना चाहिए। ऐसा करने से परंपरागत व्यवसाय के रूप में ये लडकियाँ अपनी माँ का व्यवसाय `वेश्यावृत्ति` स्वीकारने की अपेक्षा कोई भी इज्जतदार नौकरी करेगी। लड़के अपराध की दलदल में फंसने की अपेक्षा अपना व्यवसाय या नौकरी करने लगेंगे।

चतुर्थ अध्याय में मनोविज्ञान का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा की मनोविज्ञान की परिभाषाओं को दिया है, जिसका सार इस प्रकार दिया जा सकता है - मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सभी जीवों के मानसिक पक्षों का उनसे संबंधित वातावरण का अध्ययन कर वैज्ञानिक पद्धति से उनके व्यवहार और क्रिया-कलापों का अध्ययन करता है। इसके साथ ही मनोविज्ञान का स्वरुप व मनोविज्ञान की विभिन्न धाराओं को अंकित कर `मनोविश्लेषण` धारा का आधार लेकर बालिकाओं का मनोविज्ञान, युवतियों का मनोविज्ञान, प्रेम में असफल नारी का मनोविज्ञान, गृहिणी नारी का मनोविज्ञान, परित्यक्ता नारी का मनोविज्ञान, विधवा नारी का मनोविज्ञान, कुँआरी माता का मनोविज्ञान आदि के अंतर्गत कहानियों में चित्रित नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण कर अंत में निष्कर्ष दिए हैं।

उपलब्धियाँ :-

1. वर्तमान काल में नारी की स्थिति प्राचीन काल की अपेक्षा हीन,दीन है। बुरी है।

2. बेमेल विवाह के कारण पति-पत्नी में वैचारिक तनाव निर्माण होता है, जिसका परिणाम तलाक व परित्यक्ता के रूप में नारी को भुगतना पड़ता है।

3. पुरूषों द्वारा बार-बार अबला कहने के कारण नारी खुद अपने-आपको अबला समझने लगी है जब कि वह पुरूषों की अपेक्षा सबल है। नारी की यही मानसिकता उसके सामने उपस्थित होनेवाली हर समस्या की जड़ है।

4. कोई भी नारी अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति जैसा घृणित व्यवसाय नहीं स्वीकारती अपितु इस व्यवसाय को स्वीकारने के लिए उसे पुरूषों द्वारा मजबूर किया जाता है या फिर वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु मजबूरन इस व्यवसाय का स्वीकार करती है।

5. वेश्या नारी भी साधारण नारी की तरह करूणा और दया की मूर्ति होती है। प्रत्येक नारी वेश्या नहीं होती परंतु प्रत्येक वेश्या `नारी` होती है।

6. समाज में स्थित वासना का नंगा प्रदर्शन रोकने के लिए समाज में वेश्या की नितांत आवश्यकता है। वे वेश्या ही हैं जिनके कारण समाज में इज्जतदार समझी जानेवाली नारी की इज्जत व शील सलामत है। नहीं तो पूरा समाज वासना से भ्रष्ट होकर अपनी वासना पूर्ति के लिए नारी जाति को असुरक्षित बनाता।

7. नारी तब तक अत्याचार सहती है जब तक उसकी सहनशील वृत्ति जवाब नहीं देती। जब अत्याचार परिसीमा से पार होते हैं तब नारी विद्रोह कर उठती है। ऐसी हालत में वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और अत्याचारी को खत्म करती है या फिर खुद आत्महत्या करती है।

अनुसंधान की नई दिशाएँ :-

कोई भी अनुसंधान का कार्य पूरी तरह अंतिम रूप नहीं प्राप्त करता। जिस साहित्य को लेकर अनुसंधान किया जाता है, उसमें कुछ बातें ऐसी छूट जाती हैं जिस पर फिर से अनुसंधान किया जा सकता है। `सारिका` में चित्रित प्रस्तुत कहानियों को लेकर भविष्य में कोई भी अनुसंधाता निम्नलिखित विषयों को लेकर अनुसंधान कर सकता है -

1. ``कहानी के विकास में `सारिका` का योगदान।``

2. `` `सारिका` कहानी विशेषांकों का अनुशीलन।``

3. `` `सारिका` पत्रिका में प्रकाशित कहानी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन।``

4. `` `सारिका` पत्रिका में प्रकाशित कहानियों का शिल्प पक्ष।``

****